न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत गोलाकाबास

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/28/12

अनुवान– 1 रामकिशोर पुत्र भौरलाल
2 द्वारका प्रसाद पुत्र राधेश्याम जातियान हरियाणा ब्राहमण निवासी गोलाकाबास तहसील राजगढ।

:– प्रार्थी

बनाम

1.3 मुक्तिलाल, बाबूलाल, कालूराम, पुत्रान प्रभुदयाल जातियान हरियाणा ब्राहमण निवासी गोलाकाबास तहसील राजगढ :– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.05.2018:–आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गोलाकाबास पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे इकतरफा बहस सुनी जाकर आराजी हाल खसरा नं0 349/0.18 है0 वाके ग्राम गोलाकाबास तहसील राजगढ के बाबत दिनांक 03.02.2012 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 09.04.2012 तक के लिये आराजी विवादित पर निर्माण कार्य नही करने बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, तथा अप्रार्थीगण को नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये। अप्रार्थीगण बाद सूचना तामिल उपस्थित न्यायालय नही आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 18.06.2012 को इकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

मैने पत्रावली का स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय अवलोकन व निरीक्षण किया, प्रार्थी की और से प्रस्तुत दस्तावेज फोटोप्रति जमाबंदी संवत 2068–71 व नक्शा संवत 2042 का भी अवलोकन व निरीक्षण किया गया प्रस्तुत रिकार्ड से प्रथम दृष्टया आराजी विवादित से अप्रार्थीगण की खातेदारी साबित नही है। साथ ही अप्रार्थीगण बाद सूचना नोटिस के उपस्थित न्यायालय भी नही आये है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुऐ इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 03.02.2012 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाना उचित है। अतः–

आदेश है किः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. विवादित आराजी खसरा नं. 349/0.18 है0 वाके ग्राम गोलाकाबास तहसील राजगढ स्वीकार कर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 03.02.2012 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंग्न मूल वाद जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट गोलाकाबास तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत गोलाकाबास